# बिहार सरकार नगर <u>विकास एवं आवास</u> विभाग

# <u>शुद्धि पत्र</u>

संवसंव-10/नवप्रवनिव्धि)-02/2025 697/नविव एवं आवविव, पटना दिनांक-विभागीय अधिसूचना संख्या-1843 दिनांक-12.05.2021 द्वारा बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2021 के गठन हेतु निर्गत अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति में "In exercise of powers vested under article 309 of Indian Constitution" के बदले "In exercise of powers conferred under proviso to article 309 of Indian Constitution" प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

ह0/-

(राशिद इकबाल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—10/न॰प्र॰नि॰(विविध)—02/2025 / न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक— प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई—गजट कोषांग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियॉ नगर विकास एवं आवास विभाग को

उपलब्ध कराया जाय।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–10/न०प्र०नि०(विविध)–02/2025 697 /न0वि0एवंआ0वि0 पटना, दिनांक–18)-31
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना/महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिव, बिहार पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— विशेष सचिव, मंत्रिमंडल संचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की दिनांक—11.05.2021 की बैठक में मद संख्या 8 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत्र प्रेषित।

प्रतिलिपि :— श्री पंकज कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतू प्रेषित।

D:\SHIVAM 2025\karyalay aadesh 2025.docx

28

# बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विमाग

# <u>अधिसूचना</u>

सं0-01/स्था (विविध)-11/2021 - <u>1843</u> परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग का गठन करने और उसमें भर्त्ती एवं सेवा शत्तों को विनियमित करने हेतू निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

#### <u> अध्याय – 1</u>

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 🛏

(1) यह नियमावली "बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2021" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यहसरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

 परिमाषाएँ। — जब तक इस विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई अन्यथा न हो, इस नियमावली के प्रयोजन हेतु :-

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007;

(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा ऐसा अन्य कोई प्राधिकार जिसे सरकार समय-समय पर अभिहित करे;

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग;

(iv) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(v)"सरकार" से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार;

(vi) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है एक स्वायत्तशासी संस्था और इसमें शामिल हैं नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत;

(vii) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष; अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि

(viii) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अमिप्रेत है संवर्ग में नये पदों के सृजन तथा प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति,

मृत्यु, सेवा से हटाये जाने एवं बर्खास्त किये जाने के फलस्वरुप उपलब्ध रिक्तियाँ;

(ix) "विमाग" से अभिप्रेत है नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार;

(x) "निदेशालय" से अभिप्रेत है नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, बिहार;

(xi) "निदेशक" से अभिप्रेत है निदेशक, नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, बिहार;

- 1-

(xii) ''विमागीय प्रोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है विभाग द्वारा समय-समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति;

(xiii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग;

(xiv) "संवर्ग का सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति;

(xv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग; तथा

(xvi) इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों से वही अभिप्रेत होगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 और उसके अधीन बनायी गयी नियमावलियों में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

3. संवर्ग की संरचना (1) इस संवर्ग की संरचना निम्नलिखित के अनुसार होगी:-

क्रम सं0	पद का नाम	प्रास्थिति	कोटि/पदसोपान
1.	निम्नवर्गीय लिपिक	अराजपत्रित	मूल कोटि
2.	उच्च वर्गीय लिपिक	अराजपत्रित	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3.	प्रधान लिपिक	अराजपत्रित	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

(2) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा और संवर्ग की विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या वही होगी जैसा कि विभाग द्वारा, समय—समय पर, निर्धारित की जाय।

(3) संवर्ग की विभिन्न कोटियों का ग्रेड वेतन/वेतन-स्तर वही होगा जैसा कि सरकार के वित्त विभाग द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित किया जाय।

#### अध्याय – 2

4 भूतीं — इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पदों पर होगी। मूल कोटि (निम्नवर्गीय लिपिक) की रिक्तियाँ आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जायेंगें और 15% पद योग्यताधारी सुपात्र कार्यालय परिचारियों में से प्रोन्न्ति द्वारा भरें जायेंगें। सीधी भर्ती के 85 %पद में से 10% पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेंगें।

5. अर्हताएँ —(1) मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडिएट उत्तीर्णता के साथ कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकन का ज्ञान होगी।

(2) मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयुसीमा वही होगी जो सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय—समय पर, कोटिवार विनिश्चित की जाय।

(3) उम्र के निर्धारणार्थ संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को कट ऑफ डेट माना जायेगा।

6. <u>सीधी भर्ती की प्रक्रिया —</u>(1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना करायेगा और आरक्षण रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर कोटिवार अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को भेजवायेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।

(4) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करेगा और अधियाचित रिक्तियों के अनुरुप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को उपलब्ध करायेगा।

(5) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त, नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, निर्गत अनुदेशों का पालन आवश्यक होगा।

#### अध्याय – 3

્રાંબ્યુલ્લાનું દેવવું તેવું.

7. <u>परिवीक्ता अवधि</u> — सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगें। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे निम्नवर्गीय लिपिक को सेवा मुक्त कर सकेगा।

8. प्रशिक्षण – परिवीक्षा अवधि में विभाग द्वारा, समय–समय पर, यथाविहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण का पाठ्यकम एवं विधि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा के विषयों का निर्धारण राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा किया जायेगा।

(3) नियुक्ति के बाद प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि के उपरान्त अगली वार्षिक वेतनवृद्धि तभी अनुमान्य होगी जब विहित विमागीय परीक्षा के सभी विषयों के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

10. <u>सम्पुष्टि</u> — परिवीक्षाधीन निम्नवर्गीय लिपिक, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा:--

(क) परिवीक्षा अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रही हो;

Q. (20-37)

٢

(ख) विहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो और तत्संबंधी प्रमाणपत्र मिल गया हो; तथा

(ग) विहित विभागीय परीक्षा के सभी विषयों के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली हो।

11. <u>वरीयता</u> ⊢ (1) संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की आपसी वरीयता का अवधारण आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा।

(2) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की आपसी वरीयता उनके पैतृक संवर्ग की आपसी वरीयता के अनुसार होगी।

(3) एक ही पंचांग वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के बीच वरीयता का निर्धारण करने के क्रम में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अग्रता दी जायेगी।

### अध्याय – 4

(2) विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति हेतु विचारार्थ न्यूनतम कालावधि वही होगी जो सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। इस संबंध में उक्त विभाग द्वारा, समय-समय पर, निर्गत मार्गदर्शन का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) प्रोन्नतियाँ, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी। विभागीय प्रोन्नति समितियों का गठन विभाग द्वारा, समय-समय पर अलग आदेश से किया जा सकेगा।

(4) प्रोन्नति के लिए, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय—समय पर, निर्गत चारित्री/कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन, मुहरबन्द लिफाफा पद्धति आदि संबंधी अनुदेशों का पालन अपेक्षित होगा।

### अध्याय – 5

13. <u>आरक्षण —</u>सरकार के आरक्षण अधिनियम एवं नियमावली तथा सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए समय—समय पर निर्धारित आरक्षण रोस्टर और आरक्षण संबंधी समय—समय पर, निर्गत अनुदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

14. जबतक इस संवर्ग में नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है तबतक के लिए विभिन्न कोटियों में आवश्यकतानुसार रिक्तियों को भरने हेतु विभाग अन्तरिम व्यवस्था कर सकेगी। नियमित नियुक्ति हो जाने पर ऐसी अन्तरिम व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी। 15. विनियम बनाने की शक्ति – इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने एवं अग्रसर करने हेतु विभाग आवश्यकतानुसार विनियमावली बना सकेगी।

16. अवशिष्ट मामले - इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके संबंध में विभाग की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान इस संवर्ग के संदर्भ में भी लागू होंगें।

17. निर्वचन - यदि इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में सामान्य प्रशासन / विधि विमाग के परामर्श से विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

18. कठिनाइयों का निराकरण - यदि इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो ऐसी कठिनाई के निराकरण की शक्ति विभाग में निहित होगी।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति - (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में, समय-समय पर, निर्गत नियमावली और संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रमाव से निरसित समझे जायेंगें।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसी नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आनन्द किशोर) कार के

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—01/स्था0 (विविध)—11/2021 *1843* 

पटना, दिनांक-12/05/2/

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

प्रतिलिपि :- ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग,बिहार पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजने की कुपा की जाय।

> सरकार के प्रधान सचिव। 1843 पटना, दिनांक-12/05-121

ज्ञापांक—01/स्था0 (विविध)—11/2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार पटना/महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/ विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार पटना/ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/ संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक-11.05.2021 की बैठक में मद संख्या 8 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/समी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विमाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री अमितेश कुमार, आई0टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेत् प्रेषित।

सरकार के प्रधनि

# बिहार सरकार नगर <u>विकास एवं आवास</u> विमाग

名牌子 网络门

A. 1992 (M.

# <u>अधिसूचना</u>

1843 01/स्था0 (विविध)—11/2021 .............../न0वि0एवंआ0वि0।"बिहार नगरपालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली—2021" का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आनन्द किशोर)

सरकार के प्रधान सचिव।

### CHAPTER-1

### 1. Short title, extent and commencement:

(1) These Rules may be called the "Bihar Municipal Clerical Cadre Rules, 2021".

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette.

2. <u>Definitions</u>: In these rules, unless the context otherwise requires for the purpose of these rules.

(i) "Act" means Bihar Municipal Act, 2007.

(ii) **Commission** means Bihar Staff Selection Commission or any other authority that the Government may nominate from time to time;

(iii) **"Appointing Authority"** means Director, Directorate of Municipal Administration, Urban Development and Housing Department, Bihar.

(iv) "Governor" means the Governor of Bihar.

(v) "Government" means the State Government of Bihar.

(vi) **"Municipality"** means an autonomous body and it includes Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat.

(vii) "Year" means financial year i.e., period from 1<sup>st</sup> April to 31<sup>ST</sup> March of the following year.

(viii) **"Vacancy within the year"** means creation of new post in service, vacancy available on removal from service, retirement and death.

(ix) "Department" means Urban Development and Housing Department, Bihar.

(x) "Directorate" means Directorate of Municipal Administration, Bihar.

(xi) "Director" means Director, Directorate of Municipal Administration, Bihar.

(xii) **"Departmental Promotion Committee"** means Departmental Promotion Committee constituted by the Department from time to time.

(xiii) "Cadre" means Bihar Municipal Clerical Cadre.

(xiv)"Member of Cadre" means a person appointed and working in Bihar Municipal Clerical Cadre under the provision of these rules.

(xv) "Cadre Controlling Authority" means Director Municipal Administration, Urban Development and Housing Department, Bihar, and

(xvi) The undefined words and expressions used in these rules shall mean the same as in the Bihar Municipal Act, 2007 and the rules made there under.

3. Structure of Cadre: (1) The structure of cadre will be as follows:-

S. NO.	Name of Post	Status	Grade/Post Hierarchy
1.	Lower Division Clerk	Non Gazetted	Basic Grade
2.	Higher Division Clerk	Non Gazetted	First Promotional Level
3.	Head Clerk	Non Gazetted	Second Promotional Level

(2)This will be State Level Cadre. The number of Posts under different categories of cadre will be the same as will be determined by the Department from time to time.

(3) The Grade Pay/Pay Level of various categories of cadre will be the same as fixed by the Finance Department, Government of Bihar from time to time.

## **CHAPTER-2**

4. <u>Recruitment</u>: Appointment in this cadre will be on the posts of basic grade. Basic grade (Lower Division Clerk) Vacancies will be filled by direct recruitment based on the recommendation of the Commission and 15% posts will be filled by the suitable Office Attendant through promotion. Out of 85% posts 10% posts will be reserved for appointment on the basis of compassionate ground.

5. <u>Eligibility</u>: (1) The minimum educational qualification for direct recruitment to the posts of basic grade will be Intermediate with knowledge of computer operations and computer typing.

(2) The minimum age limit for direct recruitment to the basic cadre posts will be 21 years and the maximum age limit will be the same as decided by the General Administration Department of the Government, category wise, from time to time.

(3) For the determination of the age, the 1st of August of the respective year will be considered as the cut-off date.

6. <u>Process of Direct Recruitment</u>: (1) Appointing authority will calculate position of vacancies as on 1<sup>st</sup> April of the year and after roster clearance of reservation, category wise requisitions will be sent to the Commission by 30<sup>th</sup> April.

(2) In the light of the requisition, the Commission will advertise vacancies and invite applications from eligible candidates and will select the candidates on the basis of competitive examination.

(3) The process of competitive examination will be decided by the Commission.

(4)On the basis of the result of the competitive examination, the Commission will prepare the merit list of successful candidates and will make available the recommendation with category wise reservation, to the appointing authority as per the requisitioned vacancies.

(5)After recommendation of the Commission, it will be necessary to follow the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time, in relation to the process of appointment.

### **CHAPTER-3**

7. <u>Probation Period</u>: Candidates will be on probation after direct appointment. The probation period will be of two years. In case the service is not found satisfactory during the probation period, the probation period may be extended for the next one year. If the service is not found satisfactory even during the extended period, then the appointing authority may terminate the services of such Lower Division Clerk.

8. <u>Training</u>: During the period of probation, it will be necessary to successfully complete the training as prescribed by the Department, from time to time. The course and mode of training will be decided by the appointing authority.

12.00.01.01.05.02.2

1

9. <u>Departmental Examinations</u>:(1) For the Lower Division Clerk appointed on the post of basic grade, passing in all papers of Departmental examinations conducted Board of Revenue Bihar from time to time, shall be compulsory.

(2)The subjects of Departmental examination will be decided by the Board of Revenue Bihar.

(3)After the first annual increment after appointment, the next annual increment will be admissible only after passing in all the papers of all subjects of the prescribed Departmental examination.

10. <u>Confirmation</u>: The Probationary Lower Division Clerk will be eligible for confirmation in the service on completion of the probation period, subject to the following conditions:

(A) His/her conduct and service during the probation period should have been satisfactory.

(B) Should have successfully completed the prescribed training and got the certificate thereof, and

(C) Should have passed in all papers of the prescribed Departmental examination.

11. <u>Seniority</u>:(1)The mutual seniority of the officer appointed in the cadre will be determined according to the merit list recommended by the Commission.

(2) The mutual seniority of the appointed employ on the basis of promotion will be according to their mutual seniority in Parent Cadre.

(3) In the Calendar Year, priority will be given to the employees appointed by the promotions in order to determine the preference among the employees appointed by direct recruitment and by promotion.

## CHAPTER-4

12. <u>Promotions:</u> (1) Promotions of the Lower Division Clerk confirmed in service, subject to the availability of vacancies, may be considered on the basis of seniority-cum-merit.

(2) The minimum period for consideration for promotion in various grade shall be the same as determined by the General Administration Department of the Government from time to time. In this regard, it will be necessary to follow the guidelines issued by the said Department, from time to time.

(3)The promotions will be considered on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee. Departmental Promotion Committees may be constituted by the Department, from time to time by separate order.

(4) For promotion, it will be required to follow the instructions related to the Character / Performance Appraisal Report, sealed envelope system, etc. issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

### CHAPTER-5

13. <u>Reservation</u>: It will be compulsory to follow the reservation policy, instructions and rules issued for direct appointment and reservation and roster of reservation issued by the Government from time to time.

14. The Department may make interim arrangements to fill the vacancies on the different grade posts until regular appointment in this cadre is made. This interim arrangement will automatically end on regular appointment.

15. <u>Power to make regulations</u>: The Department may make regulations as it may deem necessary for carrying out provisions of these rules effective as per need.

16. <u>Residual matters</u>: The provisions of the relevant Codes / Manuals / Resolutions / Instructions of the Department will also apply in the context of this cadre in respect of subjects which could not be provisioned in these rules.

17. <u>Interpretation</u>: If any doubt arises in the interpretation of any provision of these rules, the matter will be referred to the Department and the decision of the Department in this

-7-

regard will be final in consultation with General Administration Department/Law Department.

18. <u>Resolution of difficulties</u>: If any difficulty arises in the implementation of the provisions of these rules, the power to resolve such difficulties will be vested in the Department.

19. <u>Repeal and Savings:</u> (1) The rules and resolutions, orders, instructions, etc. issued by the Department in the past from time to time in respect of this cadre, shall be deemed to be repealed with effect from the date of commencement of these rules.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said initial rules, resolutions, instructions, orders, etc. shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these rules as if the said provisions were enforce when such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

(Anand Kishor)

Principal Secretary Urban Development and Housing Department

प्रतिलिपि :- ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को मेजी जाय।

### सरकार के प्रधान सचिव।

प्रतिलिप — महालखायगर, बिहार पटना/महानाहन राज्यपाल के तायप/मानमाय नुख्यमंत्रा के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/समी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ समी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान समा/ विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार पटना/ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/ संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री अमितेश कुमार, आई0टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेत् प्रेषित।

सरकार के पर्धान